

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 80/2023

## उनवान

- 1-9 गोरू, चन्दा, दाखी, बेदा, बिहारी, मीरा, रामलाल, लक्ष्मण, शांति पिता खेमा बंजारा निवासी आमली कलां तहसील शाहपुरा
- 10- संतादेवी पत्नी मदनलाल बंजारा निवासी आमली कलां तहसील शाहपुरा
- 11- हगामी पत्नी खेमा बंजारा निवासी आमली कलां तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीगण

## बनाम

- 1-2 सोला, नगा पिता बिहारी बंजारा निवासी आमली कलां तहसील शाहपुरा
- 3- भगा पिता बगता बंजारा निवासी आमली कलां तहसील शाहपुरा
- 4-6 गब्बा, नाथू, मदन पिता भावसिंह बंजारा निवासी आमली कलां तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री त्रिलोक चंद नौलखा  
अधिवक्ता प्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956**

**-:: निर्णय ::-**

दिनांक- 13.06.2023

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम आमली कलां पटवार हल्का आमली कलां तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2752 रकबा 0.48 है०, 2753 रकबा 0.22 है०, 2756 रकबा 0.29 है० कुल किता 3 रकबा 0.99 हैक्टेयर के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 2, 4 लगायत 6 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं० 1, 3 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम आमली कलां पटवार हल्का आमली कलां संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा आमली कलां में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 3 रकबा 0.99 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(पुनीत कुमार गेलड़ा)  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा